कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क./निज सहा/एफ–172/2019/ 3444 भिलाई, दिनांक 27/11/19

//आदेश//

स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता सर्वेक्षण – 2020 के लिये आवश्यक बैठक लेकर अपने–अपने प्रभार क्षेत्र को स्वच्छ रखने नालियों की सफाई कराने एवं संग्रहित कचरा स्थल से कचरा को एस.एल.आर.एम. सेंटर में परिवहन करने एवं कहीं पर भी कचरा न रहे के निर्देश दिये गये हैं। आज दिनांक 27.11.2019 को वार्ड–39, पुरैना डाक बंगला के पास नालियों की सफाई का आकास्मिक निरीक्षण किया गया, जहां पाया गया कि नालियो की साफ–सफाई लगभग 01 माह से सुपरवाईज़र श्री नरेन्द्र भारती द्वारा नहीं कराया गया है, जो उच्चाधिकारियों द्वारा बैठक में दिये निर्देश का उल्लंघन एवं कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का घोतक है। जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की नियम–3 के नियम 1,2,3 के विपरीत है।

अतः उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश का उल्लघंन एवं कार्य में उदासीनता बरतने के कारण **श्री नरेन्द्र भारती,** प्र. सुपरवाईजर (सफाई कामगार), वार्ड 39, पुरैना, जोन–04, नगर पालिक निगम भिलाई का एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है।

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क./निज सहा/एफ–172/2019/3445 भिलाई, दिनांक 27/11/19

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
3. सर्व जोन आयुक्त, जोन क. 1,2,3,4,5 एवं 6 नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. कार्यपालन अभियंता, स्वास्थ्य, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
5. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं सबंधित की व्यक्तिगत नस्ती एवं आदेश फाइल में रखे जाने हेतु अतिरिक्त प्रति के साथ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. संबंधित श्री नरेन्द्र भारती, प्र. सुपरवाईजर (सफाई कामगार), वार्ड 39, पुरैना, जोन–04, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई